फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी, नागौर

पुसाराम s/o हेमाराम जाट बनाम : राज. सरकार जरिये

ग्रा० महाराजपुरा तहसीलदार- नांवा

किस्त मुकदमा 88 RTA- वाद-पत्र मु. नम्बर 53 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
वादी की ओर से वकील श्री हनुमानाराम ने यह वाद पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.2.18 को पेश हो।	
19.2.18 वकील वादी उप० प्रतिवादी का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते बहस सुनी गई। वादी द्वारा पेश वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम अभयपुरा के खसरा नम्बर 61 रकबा 5.59 है, तथा महाराजपुरा के ख.न. 251 रकबा 2.44 है, 246 रकबा 3.79 है तथा 278, 279, 285, 286, 316/286, 248, 155, 238, 269, 252, 293, 310/293 की भूमि में पूर्व में वादी के स्व० रूपाराम की खातेदारी में दर्ज रही है। वादी के पिता स्व. हेमाराम का स्वर्गवास दादा रूपाराम से पहले हो गया था। ग्राम महाराजपुरा की विवादित आराजीयात में दादा रूपाराम का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत में आईन्दा पुत्र मोटाराम, हीराराम, कालुराम पिता रूपाराम व पुसाराम पुत्र हेमाराम दर्ज हो गया। ग्राम अभयपुरा के खसरा नम्बर 61 रकबा 5.59 है में भी फोतगी नामान्तरण वारिसान के नाम दर्ज हो गया लेकिन इसमें वादी पुसाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर लिपिकिय भूलवंश पुसाराम पुत्र रूपाराम दर्ज कर दिया जबकि रूपाराम वादी के दादा का नाम है। जिससे वादी ने वाद पेश कर ग्राम अभयपुरा के ख.न. 61 रकबा 5.59 हैक्टयर में दर्ज पुसाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर पुसाराम पुत्र हेमाराम के नाम खातेदारी घोषणा करने की दस्तदुआ की है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम महाराजपुरा सम्वत 2069-72 के अनुसार ख.न. 278, 279, 285, 286, 316/286, 248, 246, 251 सभी में रूपाराम के वारिसान के साथ वादी का नाम पुसाराम पुत्र हेमाराम सही दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम अभयपुरा सम्वत 2070-73 में ख.न. 61	

वादी का नाम दर्ज है जिसमें वादी पुसाराम के पिता के स्थान पर दादा रूपाराम का नाम अंकित हो गया है वादी के पिता हेमाराम का स्वर्गवास दादा रूपाराम से पूर्व हो गया था जिससे सहवन से पिता के स्थान पर दादा का नाम अंकित होना सम्भव है रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में पिता का नाम हेमाराम दर्ज रिकार्ड है। महाराजपुरा ग्राम में अन्य पुश्तैनी आराजीयत में पुसाराम पुत्र हेमाराम सही दर्ज है। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार की डिक्री किया जाता है कि ग्राम अभयपुरा के ख० नं० 61 रकबा 5.59 हैक्टयार में दर्ज पुसाराम पुत्र रूपाराम का नाम हटाया जाकर पुसाराम पुत्र हेमाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां